

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

एडवोकेट विक्रम सिंह निवासी-डी-10, मीरा मार्ग, बनीपार्क जयपुरं राजस्थान-302016

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा/तहसीलदार सिकराय

अपील संख्या 109/2022

निर्णय

दिनांक 27.10.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा/तहसीलदार सिकराय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर दौसा व तहसीलदार सिकराय को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार सिकराय जिला दौसा से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी अति० जिला कलक्टर, दौसा व तहसीलदार सिकराय को पत्र क्रमांक: डीएम कोर्ट/2022/2376-77 दिनांक 27.09.2022 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पत्र क्रमांक: आरटीआई/2022/1086 दिनांक 06.10.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार सिकराय से संबंधित होने से तहसीलदार सिकराय को पत्र क्रमांक: 1085 दिनांक 6.10.2022 के द्वारा अपीलांट को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। तहसीलदार सिकराय को निर्देशित किये जाने के उपरांत भी अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सिकराय को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांट को वांछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।



(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर दौसा
दौसा

